



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

No. 274]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2010/आश्विन 20, 1932

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2010/ASVINA 20, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

सं. 12015/02/2007-बी.सी.सी.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, अंक सं. 232, दिनांक 18 अगस्त, 2010, में यथा प्रकाशित 6 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन के संबंध में भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 के समसंख्यक संकल्प की निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित शब्द/वाक्यांश/प्रविष्टि को कॉलम सं. 5 में दिए गए अनुसार पढ़ा जाए :—

क्रम सं.	दिनांक 18-8-2010 के राजपत्र की पृष्ठ सं.	स्थान	के लिए	पढ़ें
(2)	(3)	(4)	(5)	
		परिशिष्ट के शीर्षक में	अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित जातियों/समुदायों की राज्य-वार सूची को दर्शाने वाला विवरण।	अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियों/समुदायों की राज्यवार सूची।
2.		कालम (iii) और (iv) पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियां	संशोधित प्रविष्टियां
3.	12	कालम (v) पर कर्नाटक की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियां	संशोधित प्रविष्टियां
4.	14	कालम (vi) पर दमन और दीव की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियां	संशोधित प्रविष्टियां
5.	15	शुद्धिकरण शीर्षक के अंतर्गत		कर्नाटक और राजस्थान राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में निम्नलिखित जातियों/समुदायों की वर्तनी में सुधार किया गया है।
6.	15			संशोधित प्रविष्टि

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th October, 2010

No. 12015/02/2007-BCC.—In the Resolution of the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, of even No. dated 18th August, 2010, regarding inclusion/amendments in the Central lists of OBCs in respect of 6 States and one UT as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, Issue No. 232, dated August 18, 2010, the words/phrases/entry mentioned in Col. 4 of the Table below may be read as shown in Col 5 :—

Sl. No.	Page No. of the notification dated 18-8-2010	Location	For	Read
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Title of the Appendix	STATEMENT SHOWING STATE-WISE LISTS OF CASTES/COMMUNITIES TO BE NOTIFIED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs	STATE-WISE LISTS OF CASTES/ COMMUNITIES INCLUDED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs
2.	21	Title of column 2 of the Table for Jharkhand	Name of Caste Proposed inclusion	Name of Caste/Sub-caste/ synonyms, etc.
	27	Modified Entry No. 161 for Karnataka	Kambar	Kambar
4.	28	Title of Col. 5 of the Table under the heading "Corrections"	Correction of spelling of the following castes/communities proposed for the States of Karnataka and Rajasthan in the Central List of OBCs.	Correction of spelling of the following castes/ communities for the States of Karnataka and Rajasthan in the Central List of OBCs.
	28	Title of Col. 5 of the Table under the heading "Corrections"	Correction Proposed	Modified Entry

P. P. MITRA, Jt. Secy.